1256 hours

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS THIRD ORDINANCE, 1996

BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS BILL

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE CESS THIRD ORDINANCE, 1996 AND BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE CESS BILL - CONTD.

1256 hours

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, यहां पर मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी ने केवल एक-दो सुझावों को ही माना है। इन्होंने एक तो यह मान लिया है कि जहां पर 50 से अधिक मजदूर होंगे वहां पर यदि उनके स्थान पर 10 मजदूर भी काम कर रहे होंगे तो उनको यह परिसीमा में ले आए। दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि जो प्राइवेट आदमी मकान बना रहा है और 10 लाख रुपए से अधिक उस मकान की कीमत है तो उसमे भी जो मजदूर काम करेंगे उनको भी इसमें शामिल करना है। इन्होंने इसमे एक बात और मानी है कि जहां पर केन्द्र है वहां पर लोकसभा के तीन सदस्यों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा और राज्यसभा से भी मेम्बर ले लेंगे। यदि कहीं पर स्टेट का मामला है तो वहां पर विधानसभा के सदस्यों को इसमें ले लिया जाएगा। मान्यवर, इसके अलावा इन्होंने कोई बात नहीं मानी है।

महोदय, मुझे यहां पर यह निवेदन करना है, यह जीवन में भारत के इतिहास मे पहला बिल है जिसमें असंगठित मजदूरों के बारे मे कहीं पर कोई विचार किया गया है। इसलिए मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि जब यह पहला अवसर है तो आप इसमे जल्दी न करें, इसमें और जो बहुत सारी बातें रह गई हैं उन सब को भी इसमें शामिल किया जाना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें एक दिक्कत तो यह हो गई कि आपने जो अमेंडमेंट्स दिए है वह सुबह दिए हैं। उनसे ऐसा लग रहा था कि इन दो बिलों के पास होने के बाद फिर यह बिल यहां पर लाया जाएगा, उसके बाद सारी बातचीत होगी। लेकिन अभी आपने कहा कि तुरंत ही इसको 2 तारीख को पास कर देंगे, इसका मतलब यह है कि कल का दिन ही इसमे बाकी है। उम्मीद यह की जा रही थी कि यह बिल कल लाया जाएगा और उस पर मै अपनी पूरी बात जोर-शोर से रख सकूंगा। मान्यवर, मजदूरों के बारे मे यह पहला बिल है।

(aa/1300/har/sh)

मेरा निवेदन यह है कि इसमें मालिक की परिभाषा अभी तक स्पष्ट नहीं है। कौन मालिक है? कहीं-कहीं पर मजदूर भी मालिक है। मजदूर भी ठेका ले लेता है और मालिक की परिभाषा में आ जाता है। माननीय मंत्री जी, आपने इसमें मालिक की परिभाषा नहीं दी है। मालिक की परिभाषा इसमें दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : भार्गव जी, आप लंच के बाद अपनी बात जारी रखें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : ठीक है श्रीमान्। लंच के बाद लेने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

1300 hours

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

bb
(cc/1405/skb-sr)

1407 बजे

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 1407 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

RE: THREAT TO LIFE OF A MEMBER

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम सागर जी या श्रीमती सुभावती देवी में से कोई एक दो मिनट के लिये अपनी बात कह सकता है।

श्री राम सागर (बलरामपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज गृह मंत्री के बयान के बाद हमारा मन बहुत भरा हुआ है। मैं बड़े अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैंने और श्रीमती सुभावती देवी ने शून्य काल में अपनी व्यथा आपके सामने रखते हुये निवेदन किया था कि मार्च से लेकर 27 जुलाई तक इनके पति जो तीन बार एम.एल.ए रहे, प्रमुख थे और नेता थे, वे और 16 अन्य लोग बार बार की घटनाओं में मारे गये और कम से कम 100 से ज्यादा लोग घायल हो गये थे। मैं उन गरीब लोगों का बयान करना चाहता हूं जिनमे से किसी का हाथ नहीं, पैर नहीं और कुछ लोग अपंग हो गये। हम लोगों ने आपकी इजाजत से इस घटना को यहां पर रखा और यह भी कहा था कि जिस समय यह घटना हुई, तब से अब तक आई.जी. और डी.आई.जी. वही मौजूद है जिन्होंने बार-बार इस तरह की घटनायें होने पर भी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और न ही इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की गयी। इस कारण से बार-बार गोरखपुर और बांसगांव में घटनायें हो रही है। इस घटना का बयान करते हुये सदन के बहुत से साथियों ने हमारा साथ दिया था और यह मांग की थी कि सरकार वहां के आई.जी. और डी.आई.जी को तुरंत ट्रांसफर करे क्योंकि वे पूर्णतया इस घटना के लिये दोषी हैं। सारे प्रकरण की सी.बी.आई. से जांच कराई जाये और दलित समाज में पैदा हुये एम.पी. को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर गृह मंत्री जी ने अधिकारियों के कल लिखे हुये बयान को पढ़ दिया। इस बयान में न तो उनको हटाये जाने की बात की गयी है और न ही सी.बी.आई. द्वारा जांच कराये जाने की बात कही गयी है और न ही सुरक्षा की बात की गयी है। यहां पर गृह मंत्री जी ने जिम्मेदारी से अपना बयान नहीं दिया है। मैं आज भरे मन से इस सदन में आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के अनैतिक कार्य और

गैर-जिम्मेदार श्री देवेगौड़ा की सरकार और गृह मंत्री निभा रहे हैं। यदि इस प्रकार का कार्य करेंगे तो बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं।

(dd/1410/hcb/kvj)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बयान हम और सुभावती जी इसलिए दर्ज करा रहे हैं कि गृह मंत्री जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल लोक सभा उठने वाली है। और उसके बाद हमारे ऊपर, इनके ऊपर या इस परिवार से जुड़े जो लोग हैं, उनके ऊपर कुछ हुआ तो केन्द्र सरकार इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगी। आज गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, हम उनके बयान के खिलाफ आपके सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और सदन का बहिष्कार करते हैं। आपने जो समय दिया और दोबारा आकर हमारी व्यथा को सुना, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और सदन का बहिष्कार करते हैं।

1411 बजे

(तत्पश्चात् श्री राम सागर तथा श्रीमती सुभावती देवी ने सदन से बहिर्गमन किया।)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा।

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : उपाध्यक्ष जी, हमें भी इसी इश्यू पर एक बात पर गौर देना है। पहली बात यह है कि जो कुछ हम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और गृह मंत्री जी ने बयान दिया है कि ये आरोप लगाए गए। यह हम लोगों ने नहीं कहा है जो इसके अंदर इन्होंने आरोप लगाए हैं। हम लोगों का इतना कहना है कि गोरखपुर में क्राइम बहुत बढ़ गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की यही हालत है। माननीय गृह मंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मंगाकर इस बात को देखेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में जिन लोगों ने सुभावती जी पर हमला किया, उनकी सभा में हमला किया, उनको पकड़ने की बात नहीं कही गई है। इस रिपोर्ट के अंदर उनका एडवोकेट और सिक्यूरिटी देने की बात नहीं कही गई है। जो रिपोर्ट माननीय गृह मंत्री जी ने पेश की है, उसमें कहीं भी इनकी फैमिलीज को प्रोटेक्शन देने की बात नहीं कही गई है। इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मर्डर हो रहा है, उनका रोल भी आ रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर के शरीक हैं

(व्यवधान)

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : ये अनर्गल बातें कह रहे हैं ...(व्यवधान)... कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुख्तार अनीस : ये असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस : इस पूरी घटना की जांच की जाए और इस पूरे काण्ड मे गोरखपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शरीक है, इनकी पहचान कराई जाए, तभी इस मामले का हल होगा। यह एकतरफा बात नहीं है। पूरे गोरखपुर मे आतंक फैलाकर वहा के लोगो के साथ आप लोग अन्याय कर रहे है। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाइए। आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे स्पीकर साहब की डायरेक्शन मिली थी कि इन दो मे से कोई भी एक माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहे तो कह लें। इस इश्यू को मै यहीं क्लोज समझता हूं और मुझे यही कहना है कि मेम्बर्स को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा।

... (व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष जी, मामला इतना सरल नहीं है। क्योंकि किसी भी संसद सदस्य ने यहां आकर यदि कोई बात की है तो वह सदन की प्रोपर्टी हो जाती है। जब गृह मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया तो बाकी सदस्य जो बोलकर गए है, वह भी अनुचित है। मेरा भी यह निवेदन है कि कुल मिलाकर सरकारी पक्ष का एक व्यक्ति दुखी होकर इस प्रकार की बात करे यह अत्यन्त कष्टपूर्ण है। सरकार ने भी जब जवाब दिया तो उन सारी बातों को सम्मिलित करके जवाब आना चाहिए था। सरकार को कहना चाहिए था कि जो सदस्य इससे प्रभावित हुआ है, उसके परिवार को सभी प्रकार से सुरक्षा देंगे किन्तु इस प्रकार की बात नहीं आई, जिससे असंतोष के कारण सरकारी पक्ष के एक व्यक्ति को वाक-आउट करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूरी छानबीन करके उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने का काम सरकार करने वाली है?

(ee/1415/bks-rsg)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है बैठ जाइये, आपकी बात रिकार्ड मे आ गई है।

1415 hours

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS THIRD ORDINANCE, 1996

BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS BILL

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE CESS THIRD ORDINANCE, 1996 AND BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE CESS BILL - CONTD.

1415 hrs.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं। यूं तो सब लोगों ने मिल करके उसमें कुछ अमेंडमेंट दिये हैं। उसके लिए, जिन लोगों ने अमेंडमेंट दिये हैं और माननीय मंत्री जी ने भी मान लिए, मैं उन सभी को धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन कुछ बातें रह गई हैं वह मैं निवेदन कर रहा हूं। एक तो इसमें मालिक की परिभाषा स्पष्ट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़े वक्त में कहें तो अच्छा होगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: महोदय, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। दूसरे इसमें मालिक को लेवी कम लगाई गई है। तीसरी बात यह है कि इसमें दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले अथवा अपंग हो जाने वाले श्रमिकों के लिए मुआवजे की समुचित न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है।

चौथी बात यह है कि इसमें बोनस, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और पेंशन का कहीं पर भी प्रावधान नहीं किया गया है। जब कि वह वर्कर पांच साल, बीस साल या चाहे जिंदगी भर उसमें खपा दे तो भी उसके लिए न ग्रेच्युटी है, न प्रोविडेंट फंड है और न ही पेंशन की व्यवस्था है।

मेरी पांचवीं बात यह है कि इसमें दो परसेंट से कम नहीं होना चाहिए। यानी दो परसेंट होना चाहिए। दो परसेंट से कम किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा और भारत सरकार भी इसमें अपना हिस्सा दे। क्योंकि राज्य सरकार तो इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके जो कुछ भी खर्चा होगा वह तो माइनस हो जायेगा, लेकिन इसके बाद यह व्यवस्था की गई है कि इनको एक परसेंट से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि दो परसेंट तो अवश्य मिलेगा ही। यह अगर कम्पलसरी हो जाए और इसके बाद भारत सरकार भी इसमें अपना हिस्सा देती है, अर्थात भारत सरकार भी इसमें अपना हिस्सा दे तो ठीक रहेगा।

मेरा छठा सुझाव यह है कि राज्य बोर्ड को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए।

मेरा सातवां सुझाव यह है कि एक आल इंडिया वेज बोर्ड बने। क्योंकि जो अच्छा कारीगर है उसको अगर सौ, सवा सौ रुपये भी मिले तो मै समझता हूं कि अच्छा कारीगर आज मिलता नहीं है। वह युग चले गये जब इतने पैसों मे अच्छे कारीगर मिल जाया करते थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आल इंडिया वेज बोर्ड बनना चाहिए। राज्य व, केन्द्र के असंगठित क्षेत्र के जो काम करने वाले मजदूर है, वे भी इसमें शामिल हों और आखिरकार एक कारीगर को क्या मजदूरी मिले, यह भी तय करें। इसी प्रकार से केन्द्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो बोर्ड बन रहा है, उसमे जांच के लिए राजपत्रित अधिकारी रखे जाएं, जो कि इन सब बातों पर निगाह रखें। यह मेरा आठवां सुझाव है।

मेरा नौवां सुझाव यह है कि रकम को प्रोविडेंट फंड या ई.एस.आई. स्कीम में डाल दिया जाए, जिससे कि उसकी रकम सुरक्षित रहेगी। जो दूसरा केन्द्र का फंड है, उसमे न डाला जाए। माननीय मंत्री जी ने भी इस प्रकार का सुझाव शायद माना है। लेकिन इसमें मेरा सुझाव यह है कि प्रोविडेंट फंड या ई.एस.आई. की स्कीम मे उस रकम को डाल दिया जाए तो रकम सुरक्षित रहेगी।

मेरा एक निवेदन यह है कि अगर रिट्रेंचमेंट हो जाए, एक कारीगर को यदि कोई निकाल दे, चाहे उसे काम करते हुए एक-दो साल हो जाएं और मालिक उसको निकाल दे तो रिट्रेंचमेंट कम्पेनसेशन का उसमे प्रावधान होना चाहिए, वह नहीं होगा तो कारीगर भूखा मरेगा और जिस भावना से वर्षों के बाद जीवन मे पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूर के हितार्थ यह बिल लाया गया है, उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें रिट्रेंचमेंट कम्पेनसेशन का प्रावधान हो। इसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें सांसद भी होंगे, विधान सभा के सदस्य भी होंगे, वह तो ठीक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस बोर्ड मे विशेषज्ञों को भी रखा जाना चाहिए और एग्रीकल्चर वर्कर्स को भी इस बिल के परव्यू मे लाया जाय, यह मेरा निवेदन है। क्योंकि हमने आपकी जो पार्टी है, जिसका नाम है जे.डी., जिसकी सरकार बनी है। इसका अर्थ यह है कि जुलाई से लेकर दिसम्बर तक। जे. का मतलब जुलाई और डी. का मतलब दिसम्बर, यह आपका कार्यकाल है। इसलिए मै तो आपके हित के लिए यह बात कह रहा हूं कि अभी जो वक्त है उसका लाभ ले लो और अगर लाभ नहीं लोगे तो मजदूर ही भारतवर्ष मे लगभग 80 प्रतिशत

उपाध्यक्ष महोदय : दिसम्बर के बाद फिर जुलाई आयेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अब नहीं आयेगा, इनके कार्यकाल में तो नहीं आयेगा। जुलाई से दिसम्बर तक काम कर लो। दिसम्बर में निश्चित रूप से यह सरकार आयेगी, इसलिए माननीय सभापति आप मकानों की चिंता न करें। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप भलाई का काम करें। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का शोषण हो रहा है और जो कृष्णा अय्यर कमेटी है, उसने जो रिपोर्ट बनाई थी उसका आखिरकार क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का भी इसमें प्रावधान हो।

(ff/1420/nkr-rbn)

कृष्णा अईयर साहब ने मेहनत करके जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसका भी इसमें प्रावधान होना चाहिए ।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मजदूर बहुत बड़े कलाकार हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन बनाया, अनेकों फ्लैट्स बनाए, संसद भवन बनाया, संसद भवन में जो चारों ओर खम्बे लगे हुए हैं, माननीय मंत्री जी और हम सब लोग उन्हें रोजाना देखते हैं, वे सब राजस्थान के करोली पत्थर से बने हैं और इन्हें राजस्थान के, विशेषकर जयपुर के मजदूरों ने बनाया है जो मेरे पड़ोसी हैं । आप सब तो मेरे भाईबंद हैं, लेकिन वे मजदूर मेरे पड़ोसी हैं । मेरा निवेदन है कि । न मजदूरों ने इतने सुन्दर भवन बनाए, राष्ट्रपति भवन बनाया, संसद् भवन बनाया और दूसरे भवन बनाए, उनके हितार्थ जो आप इस बिल को सदन में लाए हैं, आपने इसमें जितने संशोधन किए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन जिन बातों को मैंने आपके सामने उठाया, उन्हें समाविष्ट करते हुए यदि एक काम्प्रिहैंसिव बिल आप लाएं तो वह मजदूरों के ज्यादा हित में होगा ।

अब कल से लोक सभा की छुट्टी होने वाली है । अब सदन 26 अगस्त से समवेत होगा, उस समय तक आप विचार कर लें । यदि मुझे बुलाने की आवश्यकता समझते हो तो मैं भी अपने सुझाव दे दूंगा । सभी से राय लेने के बाद, असंगठित मजदूरों के हित में आपको एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाना चाहिए । मजदूरों के बारे में वर्षों बाद, जब से लोक सभा बनी है, पहली बार आप यह बिल लाए हैं, उसके लिये धन्यवाद । इसके अलावा आपने जिन सुझावों को आपने मान लिया है, उसके लिये भी धन्यवाद । फिर भी जो बातें रह गई हैं, उन्हें भी आप मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । इन शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको भी धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप रिजौल्यूशन विदड्रा कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि बार-बार अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति का विरोध करता हूं - आप पहले राज्य सभा में अध्यादेश लाए, फिर लोक सभा में लाए, फिर राज्य सभा में लाए - तीन-तीन बार आर्डिनेंस निकलवाने की जो सरकार की गलत नीति है, अकर्मण्यता है और अकर्मण्यता की स्थिति तो इनकी भी है, कांग्रेस के ये उत्तराधिकारी हैं, कांग्रेस की सारी जिम्मेदारी इन पर है, क्योंकि ये उनके बेटे हैं । उन्होंने जो गलती की, वही गलती ये भी न करें, जब ये उनके दत्तक पुत्र हैं इसलिए इन्हें वही गलती नहीं करनी चाहिए । मैं बड़ी शुद्ध भावना से सारी बातें बताना चाहता हूं । कांग्रेस इनके पीछे लगी हुई है । इनके राज को कायम करने में कांग्रेस ने हथेली लगा रखी है । अभी मैंने जे.डी. वाली बात कही - जुलाई से दिसम्बर तक इनका कार्यकाल है । मुझे आशा है कि मेरी सारी बातें ये मानेंगे । अनेक धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने सांविधिक संकल्प वापस ले लिया ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जी हां सांविधिक संकल्प को मैंने वापस ले लिया है क्योंकि उसमें मात्र अध्यादेश को निरस्त करने वाली बात है ।